नकल आदेश दिनांक 05/12/22

निरस्त

निरस्त

मण्डल प्रयागराज:,जनपद प्रयागराज:,तहसील हंडिया:

न्यायालय उपजिलाधिकारी :

वाद संख्या -:7150/2022

मिट्ठू लाल बनाम सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T 202202030407150

अन्तर्गत धारा-: 80 अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006

आदेश दिनांक: 05/12/2022

अन्तिम आदेश

प्रस्तुत वाद मिट्ठू लाल पुत्र राम अधीन निवासी ग्राम धुर्रवा परगना मह तहसील हण्डिया द्वारा मौजा धुर्रवा परगना मह तहसील हण्डिया के गाटा संख्या 17क रकबा 0.2152हे0 व 25 रकबा 0.6160हे0 व 555 रकबा 1.1459हे0 एवं गाटा संख्या 16 रकबा 1.1994हे0 को अकृषिक के प्रयोजन हेतु वाद योजित किया गया है। तहसीलदार हण्डिया द्वारा राजस्व निरीक्षक की आख्या को दिनांक 02.11.2022 को अग्रसारित किया गया है। तदनुसार वाद दर्ज किया गया। आख्यानुसार ग्राम धुर्रवा परगना मह तहसील हण्डिया के गाटा संख्या 17क रकबा 0.2152हे0 व 25 रकबा 0.6160हे0 व 555 रकबा 1.1459हे0 एवं गाटा संख्या 16 रकबा 1.1994हे0 पर विद्यालय के कमरा, लान, गरियारा व बाउण्ड्रीवाल आदि बना हुआ है। अकृषिक घोषित की जाने वाली भूमि के मूल्यांकन का 1 प्रतिशत उद्घोषणा शुल्क एवं 1 प्रतिशत न्याय शुल्क कुल 02 प्रतिशत मु0 317650/-रू0 (तीन लाख सत्रह हजार छः सौ पचास रू0) चालान संख्या 2202/01/एल 100005 दिनांक 01.12.2022 को जमा किया गया है। वाद पत्र पर वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री योगेन्द्र कुमार मौर्य को सुना गया।

अतः आदेश हुआ कि ग्राम धुर्रवा परगना मह तहसील हण्डिया द्वारा मौजा धुर्रवा परगना मह तहसील हण्डिया के गाटा संख्या 17क रकबा 0.2152हे0 व 25 रकबा 0.6160हे0 व 555 रकबा 1.1459हे0 एवं गाटा संख्या 16 रकबा 1.1994हे0 भूमि को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80(2) के परन्तुक के अधीन कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। वादी उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 80(3) के अन्तर्गत कार्यवाही करायें। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार हण्डिया, उप निबंधक हण्डिया को अनुपालन हेतु भेजी जाये। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

5/12/22

(रमेश मौर्य)

उपजिलाधिकारी हण्डिया,

प्रयागराज।

माल अहलमद/14.12.22

उप जिलाधिकारी

हंडिया, प्रयागराज

पक्षों का नाम योगेन्द्र मौर्य एड0

दिनांक नकल प्रार्थना ...

दिनांक नकल तैयारी 22/12/22

दिनांक नकल जारी 23/12/22

... 23/12/22

170 ...

... 390